भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3703

उत्तर देने की तारीख 23.03.2023

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार

3703. श्री जी. सेल्वमः

श्रीमती मंजुलता मंडलः

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के वार्षिक कारोबार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के सामने इस कारोबार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या चुनौतियां है;

(घ) क्या केवीआईसी को खादी उत्पादों की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु और ओडिशा सरकार से क्रय आदेश प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खादी उत्पादों के लिए अधिक बाजार सृजित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है कि केवीआईसी उत्पाद खराब गुणवत्ता वाले न हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का केवीआईसी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) एवं (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हुई है और ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	केवीआई उत्पादों की बिक्री
2019-20	88875.54
2020-21	95741.36
2021-22	115415.23
2022-23 (अ) (दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	108571.84

अ- अनंतिम

(ग) केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने में मुख्य चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

i. मानकों, गुणवत्ता और समकालीन बाजार मांग के संबंध में छोटे गांवों में विनिर्माताओं के बीच जागरूकता की कमी।

ii. बाजार में केवीआई वस्तुओं के निर्यात के संबंध में ऋण और ज्ञान तक सीमित पहुंच।

iii. बाजार में केवीआई उत्पादों के विपणन और प्रचार का अभाव।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को तमिलनाडु और ओडिशा राज्य से खादी उत्पादों की आपूर्ति के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार ने खादी उत्पादों के लिए और अधिक बाजार सृजित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं/पहलें की हैं:

i. केवीआईसी विपणन सहायता की सुविधा देता है, प्रदर्शनियों का आयोजन करता है जहां केवीआईसी द्वारा प्रवर्तित खादी संस्थाओं/कारीगरों/उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचा जा सकता है।
ii. केवीआईसी के स्वामित्व वाली 18 शाखाओं के साथ खादी संस्थाओं के 8000 से अधिक "खादी इंडिया" बिक्री केन्द्रों और 8 विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) का नेटवर्क खादी उत्पादों की बिक्री के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है।
iii. केवीआईसी, जेम पोर्टल और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से खादी उत्पादों के लिए ई-मार्केट लिंकेज द्वारा उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था करता है।
iv. एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के लिए खादी इकाइयों को सुविधा देता है।
v. केवीआईसी द्वारा प्रवर्तित खादी संस्थाओं और उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिए रेलवे, डाक विभाग, एयर इंडिया, ओएनजीसी, आईओसीएल और अन्य सरकारी संगठनों के साथ गठजोड़ (टाई-अप)।

(च) गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी कपड़ों के भौतिक परीक्षण के लिए केवीआईसी के केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों (सीएसपी) के परिसरों में परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

इसके अलावा, केवीआईसी ने हाथ से कताई और हाथ से बुनाई की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ऑनसाइट सत्यापन करने और कपड़ा प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के लिए खादी कपड़े के नमूने लेने के लिए एक मान्यता-प्राप्त एजेंसी के रूप में वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय को कार्यरत किया है।

केवीआईसी ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में "खादी मार्क" का शुभारंभ भी किया था।

(छ) जी, हां। एमएसएमई मंत्रालय ने केवीआईसी के माध्यम से जेम पोर्टल और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.khadiindia.gov.in) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज द्वारा उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की है।

* * * * *